R-597
16/12/05
R-11797
24/12/04

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

दिनांक..... प्राप्त ।
प्रभारी
वितरण

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 555] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2004/अग्रहायण 26, 1926
No. 555] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2004/AGRAHAYANA 26, 1926

Po— 300
Km— 30
Depth— 5c
P.B—22 किया पूरा
प्रभारी
दा० लि०

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2004

सा.का.नि. 815(अ).—केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 960(अ) तारीख 22 दिसम्बर, 2003 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एक सलाहकार बोर्ड एक वर्ष के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. एस. ठाकुर —अध्यक्ष
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री ओ. पी. द्विवेदी —सदस्य
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नन्द्रा जोग —सदस्य

2. यह अधिसूचना 19 दिसम्बर, 2004 से लागू होगी।

[फा. सं. 820/11/2003-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

बी.आर. शर्मा, अवर सचिव

पाद-टिप्पणी :—सा.का.नि. 960 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित की हुई।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2004

G.S.R. 815(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. 960(E) dated 22nd December, 2003 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

1. Hon'ble Mr. Justice T. S. Thakur -Chairman
2. Hon'ble Mr. Justice O. P. Dwivedi -Member
3. Hon'ble Mr. Justice Pradeep Nandrajog -Member

2. This Notification shall come into force with effect from 19th December, 2004.

[F. No. 820/11/2003-PITNDPS]

B.R. SHARMA, Under Secy.

Footnote :—The Notification No. G.S.R. 960(E), dated 22nd December, 2003 was published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 22nd December, 2003.

3761 GI/2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode